



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
[Scholarship Division]

“National Overseas Scholarship scheme (NOS)/Passage grant Scheme for ST candidates” for the Selection year 2020-21.

The Ministry of Tribal Affairs Government of India invites online applications for scholarship under the **National Overseas Scholarship Scheme (NOS)/Passage grant Scheme for ST candidates** for the year **2020-21**. The scholarship is awarded to the students selected for pursuing higher studies abroad at the Masters level, Ph.D and Post-Doctoral Research programmes. For eligibility criteria, candidates may refer to para IV of the scheme guidelines available at National Overseas Scholarship scheme (NOS) online portal.

Number of Scholarship: National Overseas Scholarship scheme (NOS) :20 (17 Awards for Schedule Tribe and 03 Awards for PVTGs), Passage Grant: 4 Awards

Interested candidates should apply online through:

<https://overseas.tribal.gov.in/>

Last date of submitting applications online is : 30th September, 2020.



भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
[छात्रवृत्ति प्रभाग]

चयन वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु
"राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) / यात्रा व्यय अनुदान
स्कीम "

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) / यात्रा अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर स्तर, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों में विदेश में उच्चतर अध्ययन करने के लिए चयनित विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। पात्रता मानदण्डों के लिए अभ्यर्थी राष्ट्रीय समुद्रपारीय योजना (एनओएस) ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध योजना दिशानिर्देशों के पैरा IV का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं।

छात्रवृत्तियों की संख्या: राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम (एनओएस) : 20 (17 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 छात्रवृत्तियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए)। यात्रा व्यय अनुदान - 4 अवार्ड

इच्छुक अभ्यर्थी को <https://overseas.tribal.gov.in/> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।

आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 30 सितम्बर, 2020